

इस्लाम से निष्कासित (ख़ारिज) करने वाली बातें

संकलन

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

संशोधन

सिद्दीक़ अहमद एवं जावेद अहमद

www. **islamhouse** .com

1428-2007

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

इस्लाम से निष्कासित (ख़ारिज) करने वाली बातें

इस्लाम के प्रति श्रद्धालु व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह उन चीज़ों की जानकारी प्राप्त करे जो उस तौहीद (एकेश्वरवाद) और सत्य के विरुद्ध हैं जिस पर वह स्थापित है ; क्योंकि शिर्क की जानकारी प्राप्त करने ही से तौहीद का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है।

इस्लामी भाईयो ! दस ऐसी बातें हैं जिनमें से प्रत्येक मनुष्य को इस्लाम से ख़ारिज (निष्कासित) कर देती हैं, जिन्हें इस्लाम के नवाकिज़ कहते हैं, नवाकिज़ का अर्थ है जीवन के समस्त प्रणालियों में अल्लाह तआला की शरीअत से मुख फेर कर किसी अन्य चीज़ की ओर अभिरुचित होना अर्थात सच्चे धर्म -इस्लाम- के विपरीत अकीदा (श्रद्धा) रखना। किन्तु आज अधिकांश लोग इस्लाम के इन नवाकिज़ से अनवगत हैं, इसी कारण वह शिर्क एवं कुफ़्र के अन्धकार में भटक रहे हैं और वह यह समझते हैं कि वह सीधे मार्ग पर हैं और इस संसार में अच्छे कार्य कर

रहे हैं, हालांकि वह इसके विपरीत हैं। अतः इन बातों से सावधान रहें और वह यह हैं :

पहली बात : अल्लाह की इबादत में किसी को साझी ठहराना ।

जो व्यक्ति अल्लाह तआला की इबादत में किसी अन्य को साझी ठहरा कर उसकी इबादत उसी प्रकार करता है जिस प्रकार अल्लाह तआला की इबादत करता है, तो उसने इस्लाम का बहिष्कार कर दिया और काफ़िर होगया।

मुशरिकों के बहुत से प्रकार हैं :

1-जिसने अल्लाह तआला की मुहब्बत में उसके अतिरिक्त किसी अन्य को साझी ठहराया वह मुशरिक है। अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ

اللَّهِ﴾ [البقرة: 175]

“तथा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अल्लाह के साझीदार अन्य लोगों को ठहराकर उनसे ऐसा प्रेम रखते हैं जैसा प्रेम अल्लाह से होना चाहिए।” (सूरतुल बकरा:165)

और उसी के उदाहरणों में से : स्वदेश, लीडरों, फ़िक्ही मत, सरबराहों, जमाअत (दल), माता-पिता, गोत्र और वंश के प्रेम में गुलू (अतिशयोक्ति) करना भी है।

2-जिस पर केवल अल्लाह तआला शक्ति रखता है उसमें अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य पर भरोसा (तवक्कुल) करना ।

3- अप्रत्यक्ष रूप से अल्लाह तआला के अतिरिक्त किसी अन्य से डरना। अप्रत्यक्ष रूप से डरने का अर्थ यह है कि आदमी गैरुल्लाह से यह भय रखे कि वह केवल अपनी इच्छा और शक्ति से उसे कोई आपत्ति (हानि) पहुंचा सकता है, यद्यपि वह स्वयं उसे हाथ नहीं लगाता है, तो यह शिर्क अक्बर है ; क्योंकि यह गैरुल्लाह के विषय में हानि और लाभ पहुँचाने का विश्वास रखना है।

4-जिन चीजों पर केवल अल्लाह तआला शक्ति रखता है उनमें अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य पर आशा रखना, जैसे कि मृतकों या अन्य लोगों को यह आशा रखते हुए पुकारना कि उनके कारण उसके उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी।

5-अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य को सिज्दा करना।

6-जिस पर केवल अल्लाह तआला शक्ति रखता है उसमें अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य को पुकारना और उससे प्रार्थना करना, चाहे शफाअत मांगने के लिए हो या किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो।

7-अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए जानवर ज़ब्त करना।

8-अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए मन्नत (नज़ूर) मानना या चढ़ावा चढ़ाना।

9-अल्लाह के घर (खाना काबा) के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान का तवाफ़ (परिक्रमा) करना, चाहे वह किसी रसूल की क़ब्र (समाधि) हो या किसी वली की या किसी सदाचारी की।

10-जिन चीज़ों पर केवल अल्लाह तआला ही शक्ति रखता है उनमें अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य का शरण (पनाह) ढूंढना।

11-जिस पर केवल अल्लाह तआला ही शक्ति रखता है उसमें अल्लाह के अतिरिक्त किसी अन्य से फर्याद करना और सहायता मांगना।

दूसरी बात : अपने और अल्लाह के बीच किसी को माध्यम बनाना :

जो व्यक्ति अल्लाह और अपने बीच किसी को माध्यम बनाकर उसे पुकारे, उससे सिफारिश की प्रार्थना करे और उस पर भरोसा करे तो वह सर्वसहमति के साथ काफ़िर (नास्तिक) है।

क्योंकि अल्लाह और बन्दों के बीच - केवल प्रसार और प्रचार के लिए संदेशवाहकों के माध्यम के अतिरिक्त - कोई अन्य माध्यम नहीं है, और माध्यम की आवश्यकता क्यों हो जबकि अल्लाह तआला फरमाता है:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

دَعَا﴾ [البقرة: 186].

“तथा जब मेरे बन्दे मेरे विषय में प्रश्न करें तो कह दें कि मैं बहुत ही निकट हूँ, हर प्रार्थी की पुकार को जब कभी भी वह पुकारे मैं स्वीकार करता हूँ।” (सूरतुल बकर:186)

किन्तु मुसीबत को टालने या लाभ प्राप्त करने के लिए माध्यम का सिद्ध करना तो यह मुशरिकों का अकीदा है। बन्दे और रब के बीच कोई माध्यम क्यों बन सकता है जबकि अल्लाह तआला ने फरमाया है:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن

عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60].

“तथा तुम्हारे रब का आदेश है कि मुझसे प्रार्थना करो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करूँगा, विश्वास करो कि जो लोग मेरी इबादत से अहंकार करते हैं वे अतिशीघ्र अपमानित होकर नरक में पहुंच जायेंगे।” (सूरतुल मोमिन: 60)

चुनांचे अल्लाह ने यह नहीं कहा है कि मेरे सदाचारियों (वलियों) को पुकारो, या मेरे नबियों को पुकारो, या मेरे प्रेमकर्ताओं और नेक बन्दों को पुकारो। बल्कि यह कहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को स्वीकार करूँगा।

तीसरी बात: मुशरिकों को काफिर न समझना या उनके सत्य समझना:

जो मुशरिकों (अल्लाह के साथ दूसरों को साझी ठहराने वालों) को नास्तिक (काफिर) न समझे या उनके कुफ़्र में सन्देह करे या उनके धर्म को सत्य समझे वह भी काफिर (नास्तिक) है।

अतः शिर्क और मुशरिकों से अलग-थलग रहना और उनसे विमुखता प्रकट करना अनिवार्य है जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने समुदाय के लोगों से स्पष्ट रूप से सम्बन्ध विच्छेद और विमुखता प्रकट किया।

चौथी बात: इस्लाम के अतिरिक्त किसी अन्य धर्म के परिपूर्ण होने का विश्वास रखना या दूसरे के निर्णय को स्वीकार करना:

जो व्यक्ति यह विश्वास (अकीदा) रखे कि नबी ﷺ के तरीके (मार्गदर्शन) से किसी अन्य का तरीका (मार्गदर्शन) अधिक परिपूर्ण और श्रेष्ठ है, या यह कि किसी और का फैसला

(निर्णय) आप ﷺ के फैसिले से उच्चतर है, जैसे वह लोग जो शैतानी नियमों और व्यवस्थाओं को आप ﷺ की शरीअत पर प्रधानता देते हैं, तो ऐसा विश्वास रखने वाला भी काफिर है।

इसी प्रकार कुछ रोगी दिलों वाले लोगों की बातें भी हैं जो कि जब भी इस्लाम के न्याय और सत्य की पुकार को सुनते हैं तो उनके चेहरे बिगड़ जाते हैं और वह घबराहट और भय से पीड़ित हो जाते हैं, उन्हीं में से निम्नलिखित बातें हैं :

(क) यह विश्वास रखना कि मनुष्य के बनाये हुए नियम और विधियाँ इस्लामी शरीयत से श्रेष्ठ हैं, या इक्कीसवीं शताब्दी में इस्लामी व्यवस्था को लागू करना उचित नहीं, या यह कि मुसलमानों के पतन का कारण इस्लाम था, या यह कहना कि इस्लाम केवल बन्दों और रब के सम्बन्ध के साथ विशिष्ट है, जीवन के अन्य मामलों से उसका कोई संबंध नहीं।

(ख) यह कहना कि चोर का हाथ काटने या विवाहित व्यभिचारी को पत्थर मार मार कर मृत कर देने में अल्लाह तआला के आदेश को लागू करना वर्तमान युग के अनुकूल नहीं।

(ग) यह आस्था रखना कि शरई मामलों या हुदूद (धार्मिक दण्ड) या उनके अतिरिक्त अन्य मामलों में ग़ैर इस्लामी नियमों के अनुसार फैसिला करना जायज़ है यद्यपि उसका यह अक़ीदा न हो कि वह नियम इस्लामी शरीयत के नियम से श्रेष्ठ हैं; क्योंकि इस प्रकार उसने इज्माये उम्मत (रसूल ﷺ के अनुयायियों की सर्वसम्मत सहमति) के अनुसार अल्लाह तआला की हराम (निषिध) घोषित की हुई चीज़ को वैध (जायज़) ठहरा दिया, और जो भी व्यक्ति अल्लाह के उन मुहर्रमात (निषिध वस्तुओं) को हलाल ठहराले, जिनका धर्म से होना स्वतः सिद्ध हो, उदाहरण के तौर पर व्यभिचार (ज़िना), शराब पीना, व्याज और ग़ैर इस्लामी नियमों के अनुसार फैसिला करना इत्यादि, तो वह मुसलमानों की सर्वसहमति के साथ काफ़िर है।

पाँचवीं बात : जिस ने रसूल ﷺ की लाई हुई शरीअत में से किसी भी वस्तु को घृणा के योग्य समझा वह काफ़िर है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से उस पर अमल ही क्यों न कर रहा हो।

यह निफ़ाक़े ऐतिक़ादी है, जिससे आदमी काफ़िर हो जाता है और मिल्लत से बाहर होजाता है, उसके निम्न प्रकार हैं:

1. रसूल ﷺ को झुठलाना।

2. या रसूल ﷺ की लाई हुई कुछ चीज़ों को झुटलाना ।
3. या रसूल ﷺ से बुग़ज़ (द्वेष) रखना
4. या रसूल ﷺ की लाई हुई कुछ चीज़ों से द्वेष रखना ।
5. या रसूल ﷺ के धर्म के पतन से प्रसन्न होना ।
6. या रसूल ﷺ के धर्म की उन्नति और प्रभुत्ता से अप्रसन्न होना ।

जैसा कि आज बहुत से इस्लाम के दावेदारों का हाल है, वह लोग कुफ़्र और इस्लाम के दुश्मनों (शत्रुओं) के लिए कार्य करते हैं ।

अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا أَعْمَالَهُمْ﴾

[محمد: 9].

“यह इसलिए कि वह अल्लाह की उतारी हुई वस्तु (शरीअत) से अप्रसन्न हुये, तो अल्लाह ने भी उनके कर्म नष्ट कर दिये ।” (सूरत मुहम्मद: 9)

अतः जो व्यक्ति कुफ़रिया और इल्हादी विचारों को निर्यात करता है और यह समझता है कि यह इस्लामी समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं और इनसे इस्लाम को उन्नति प्राप्त होगी, तो ऐसा व्यक्ति अति पथ भ्रष्ट होगया और इस्लाम की सीमा से बहुत दूर निकल गया ।

छठी बात: अल्लाह के दीन में से किसी चीज़ की हँसी उड़ाना:

जिसने अल्लाह के दीन की किसी चीज़ अथवा उसके सवाब (पुण्य) या सज़ा (दण्ड) का मज़ाक़ उड़ाया वह काफ़िर हो गया। अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۗ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ [التوبة: ٦٥، ٦٦].

“ऐ नबी ! आप कह दीजिए कि क्या तुम लोग अल्लाह, उसकी आयतों और उसके रसूल की हँसी उड़ाया करते थे, अब झूठे बहाने न करो, तुम तो ईमान के बाद काफ़िर हो गये।” (सूरतुत तौबा: 65–66)

यह आयत उन लोगों के बारे में उतरी जिन्होंने तबूक की लड़ाई में अपने कुछ साथियों की हँसी उड़ाते हुये कहा था: मैंने अपने इन कारियों (विद्वानों) के समान किसी को नहीं देखा, न इनसे अधिक पेट के मामले (खाने) में आगे, न इनसे अधिक झूठ बोलने वाला, और न मुठभेड़ के समय इनसे अधिक कायरता दिखलाने वाला। तो एक व्यक्ति ने कहा कि तू झूठ बोलता है, बल्कि तू मुनाफ़िक़ है, मैं रसूल ﷺ को इसके बारे में अवश्य बतलाऊँगा, फिर आप ﷺ को इसकी सूचना मिली और कुरआन की यह आयत उतरी।

सातवीं बात: जादू का कार्य करना

जादू और उसी में से 'सर्फ' भी है (सर्फ: जादू का एक प्रकार है जिसके द्वारा मनुष्य को उसकी प्रिय वस्तु से घृणित करना उद्देश्य होता है, चुनांचे पति को उसकी पत्नी के प्रेम से फेर कर उसके अन्दर अपनी पत्नी के बारे में घृणा पैदा कर दिया जाता है) और उसी में से 'अत्फ़' भी है (अत्फ़: जादू का एक प्रकार है जिस में शैतानी माध्यम से मनुष्य को उसकी अप्रिय वस्तुओं की ओर अभिरूचित कर दिया जाता है) जो व्यक्ति ऐसा करे या ऐसी बातों से सहमत रहे वह काफ़िर हो गया। इसका प्रमाण अल्लाह तआला का यह कथन है:

﴿وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ﴾ [البقرة: 102].

“वह दोनों भी किसी व्यक्ति को उस समय तक नहीं सिखाते थे जब तक वह यह बता नहीं देते कि हम दोनों तो केवल एक परीक्षा हैं, इसलिए कुफ़्र का कार्य न करो।”

(सूरतुल बक्वरा: 102)

आठवीं बात: मुसलमानों के विरुद्ध मुशरिकों का समर्थन और उनकी सहायता करना:

जिसने ऐसा किया वह काफ़िर होगया। अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (المائدة: ५१).

“तुम में से जो भी उन में से किसी से मित्रता करे वह निःसन्देह उन्हीं में से है, अत्याचार करने वालों को अल्लाह तआला कदापि मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता।”

(सूरतुल मायदा: 51)

नवीं बात: यह अक़ीदा रखना कि शरीअत की पाबन्दी से मुक्त रहना सम्भव है:

जिसने यह विश्वास रखा कि कुछ लोगों को शरीअते मुहम्मदिया की सीमा से बाहर रहने का अधिकार है, जिस प्रकार खिज़्र को मूसा की शरीअत से मुक्त रहने का अधिकार था, तो ऐसा व्यक्ति काफ़िर है। (जैसा कि सूफ़ी तरीक़ो के मशाईख़ का हाल है जो यह समझते हैं कि वह शरीअत के पाबन्द नहीं हैं)। अल्लाह तआला का फ़रमान है :

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

“जो व्यक्ति इस्लाम के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म खोजे तो उसका धर्म कदापि स्वीकार नहीं किया जाये गा और आखिरत में वह घाटा उठाने वालों में से होगा।” (सूरत आल इम्रान : 85)

दसवीं बात: अल्लाह के दीन से विमुखता प्रकट करना:

अल्लाह के दीन से विमुखता प्रकट करना इस प्रकार कि आदमी न उसे सीखे और न ही उस पर अमल करे। क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान है :

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ

الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢].

“और उस से से बढ़कर अत्याचारी कौन है जिसे अल्लाह तआला की आयतों से उपदेश (नसीहत) दिया गया, फिर भी उसने उनसे मुख फेर लिया, निश्चय हम भी पापियों से बदला लेने वाले हैं।” (सूरतुस सज्दह :22)

और अल्लाह का यह कथन भी है:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ﴾ [الأحقاف: ٣].

“तथा क़ाफ़िर लोग जिस चीज़ से डराये जाते हैं मुख फेर लेते हैं।” (सूरतुल अहक़ाफ़ :3)

इस्लाम से निष्कासित करने वाली यह बातें हर हालत में बराबर हैं चाहे वह मज़ाक में, गम्भीर मुद्रा में या डर की स्थिति में हुई हों, केवल वह व्यक्ति इससे मुस्तसना (अलग) है जिसे इसके करने पर बाध्य (मजबूर) किया गया हो। और यह सब के सब अति भयंकर और खतरनाक हैं, तथा सब से अधिक (जीवन में) घटने वाली हैं। अतः मुसलमान को चाहिए कि इन से सावधान रहे और अपने ऊपर इन से भय खाता रहे। हम अल्लाह तआला से उसके क्रोध के कारणों और उसकी कष्टदायक सज़ा (यातना) से पनाह मांगते हैं।

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*

*atazia75@hotmail.com

(किताब शर्ह नवाकिजुल इस्लाम लिश-शैबानी से संकलित)